राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवंPh. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/205 दिनांकः 07.01.2020

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत) राजस्थान।

विषयः— पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 — सरपंच के निर्वाचन हेतु ईवीएम की तैयारी एवं ईवीएम मतपत्रों के अनुप्रमाणन के संबंध में।
संदर्भः—आयोग का पत्रांक 6046 दिनांक 16.12.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि सरपंच पद के निर्वाचन के लिए इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को मतदान हेतु तैयार करने (Commissioning) का कार्य जिला स्तर पर किया जाएगा, जहां संबंधित पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी उपलब्ध नहीं होगें। इस क्रम में आयोग के संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 9 के उप बिन्दु (iv) में यह निर्देश प्रदान किए गए हैं कि ईवीएम की बैलेट यूनिट में मतपत्र लगाने से पूर्व उसे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर से अनुप्रमाणित किया जायेगा।

अतः इस संबंध में आयोग द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते है कि

1. सरपंच पद के निर्वाचन के लिए इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को मतदान हेतु तैयार करने (Commissioning) का कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस हेतु नामित अधिकारी के पर्यवेक्षण में कराया जाएगा
2. नामित अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मतपत्र राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 39A एवं इस संबंध में आयोग द्वारा दिये गये निदेशों के अनुरूप है।
3. नामित अधिकारी द्वारा ईवीएम की बैलेट यूनिट में लगाए जाने वाले मतपत्रों का अनुप्रमाणन मतपत्र की पीठ पर अपने हस्ताक्षर कर किया जाएगा।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव